उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

रिट याचिका (एस/एस) नम्बर 640/2021

राकेश सिंह ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य ..... प्रतिवादीगण

एवम्

रिट याचिका (एस/एस) नम्बर 642/2021

जितेन्द्र सिंह ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य ..... प्रतिवादीगण

एवम्

रिट याचिका (एस/एस) नम्बर 643/2021

संजीव ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य ..... प्रतिवादीगण

एवम्

रिट याचिका (एस/एस) नम्बर 644/2021

नरेश कुमार ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य ..... प्रतिवादीगण

श्री त्रिभुवन चन्द्र पाण्डे, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता

सुश्री अंजली भार्गव, स्थाई अधिवक्ता, उत्तराखण्ड राज्य की ओर से

माननीय न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा

(वीडिया कान्फ्रेसिंग के माध्यम से)

उक्त सभी रिट याचिकाओं में, याचिकाकर्ता वे व्यक्ति हैं, जो

परमादेश रिट का दावा कर रहे हैं जिसके तहत उन्होंने अपनी सेवाओं को नियमित करने के लिए उत्तरदाताओं को आदेश देने की प्रार्थना की है। उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अनुसार दैनिक वेतन के आधार पर थी, जो नियमों के विपरीत है।

2. चूँकि इन सभी रिट याचिकाओं में तथ्य और कानून का एक सामान्य प्रश्न अर्न्तवलित है इसलिए संक्षिप्तता के प्रयोजनों के लिए पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से उनका एक साथ विनिश्चय किया जा रहा है। प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में जिन संक्षिप्त तथ्यों पर विचार किया जा रहा है, वे इस प्रकार हैं –

(ए) **रिट याचिका संख्या 640/2021 राकेश सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य** में याचिकाकर्ता यह मामला लेकर आया था कि उसके पिता जो प्रतिवादियों के साथ लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा, पौड़ी गढवाल में दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किये गये थे, बाद में उनकी सेवायें 26–11–1988 को कार्य प्रभार प्रतिष्ठान में डाल दी गयी और कार्य प्रभार प्रतिष्ठान में अपनी सेवाओं का निर्वहन करते समय 22–07–2009 को 21 वर्ष की संतोषजनक और बेदाग सेवा प्रदान करने के बाद उनका दुखद निधन हो गया। चूँकि परिवार के एकमात्र कमाने वाले यानि याचिकाकर्ता के दिवंगत पिता की मृत्यु हो गयी इसलिए याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के तहत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए आवेदन किया और याचिकाकर्ता को बेलदार के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया गया। इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता का तर्क है कि तब से वह नियमित रूप से बेलदार के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य कर रहा है और नियमितीकरण के लिए उसके दावे, जिसके लिए उसने 21–01–2021 को आवेदन दायर कर प्रार्थना की गयी, विचाराधीन हैं और उत्तरदाताओं द्वारा अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(बी) **रिट याचिका संख्या 642/2021 जितेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य** में याचिकाकर्ता यह मामला लेकर आया है कि उसके पिता, जो प्रारम्भ में लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल में एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त थे, बाद में उन्हें 26–11–1988 को ''मार्ग अनुरक्षक'' के पद पर कार्य प्रभार प्रतिष्ठान में भी रखा गया था और तब से उनका बेदाग सेवा रिकार्ड रहा है और सेवा में रहते हुये याचिकाकर्ता के पिता

की 22 साल की संतोषजनक सेवा के बाद 21–10–2010 को दुखद मृत्यु हो गयी। इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसने उचित आवेदन दायर करके अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए आवेदन किया था और पद के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन और पात्रता पर विचार करते हुये उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के आधार पर याचिकाकर्ता को 26–04–2011 को ''मार्ग अनुरक्षक'' के पद पर नियुक्ति दी गयी थी। रिट याचिका में उनका तर्क है कि तब से वह प्रतिवादियों के साथ संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं और दैनिक वेतनभोगी के रूप में उनका बेदाग सेवा रिकार्ड है लेकिन दिनांक 22–01–2021 के अभ्यावेदन के आधार पर सेवाओं के नियमितीकरण के लिए उनके दावे पर अभी तक विचार नहीं हुआ और उसे नियमित कर्मचारी को भुगतान किए जाने वाले सेवा लाभों के समकक्ष से वंचित किया जा रहा है।

(सी) **रिट याचिका संख्या 643/2021 संजीव बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य** में याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के दिवंगत पिता जो दैनिक वेतन पर ''बेलदार'' के रूप में लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल में काम कर रह थे और संतोषजनक एवम् बेदाग सेवा प्रदान करने के बाद दिनांक 01–11–1992 को उन्हें वर्कचार्ज प्रतिष्ठान में नियुक्त किया गया था और वहां लगभग 15 वर्षो की निरन्तर और बेदाग सेवा प्रदान करते हुये उन्होंने 05–11–2011 को निधन होने तक उक्त पद पर कार्य किया था। रिट याचिका में याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि उसने अपने पिता की मृत्यु पर उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के प्रावधानों के तहत नियुक्ति पाने के लिए अपना आवेदन दायर किया और उत्तरदाताओं ने उसके आवेदन पर विचार करते हुये दिनांक 01–03–2010 के एक आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता को ''बेलदार'' के पद पर नियुक्ति दी थी लेकिन दैनिक वेतन के आधार पर। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि 01–03–2010 को उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के तहत ''बेलदार'' के रूप में नियुक्त होने के बावजूद उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया है और इसलिए उसके साथ अभाव की भावना व्याप्त है क्योंकि उसे एक ही पद पर नियमित कर्मचारी के बराबर सेवा लाभ का भुगतान नहीं किया गया, इसलिए उसने 21–01–2021 को उत्तरदाताओं के समक्ष प्रतिनिधित्व किया लेकिन अभी तक उत्तरदाताओं द्वारा उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(डी) **रिट याचिका संख्या 644/2021 नरेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य** में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि याचिकाकर्ता के दिवंगत पिता लोक निर्माण विभाग, दुगडडा, पौडी गढवाल में कार्यरत थे और उन्हें बाद में 26–11–1988 को वर्कचार्ज स्थापना में नियुक्त किया गया था, और लगभग 22 वर्षो तक लगातार संतोषजनक सेवा प्रदान करने के बाद एक कार्य प्रभार प्रतिष्ठान में ''बेलदार'' के पद पर, याचिकाकर्ता के पिता का 03–11–2020 को दुखद निधन हो गया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में मरने वाले सरकारी सेवकों के आश्रितों की उत्तर प्रदेश भर्ती के तहत अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए आवेदन किया और अंततः उनके दावे पर विचार किया गया और उन्हें 02–04–2021 को ''कार्य एजेंट'' के रूप में नियुक्ति दी गयी, लेकिन दैनिक वेतन पर। उनकी शिकायत यह है कि उन्होंने अपनी सेवाओं को नियमित करने और उक्त पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारी को भुगतान किए जाने वाले नियमित लाभ देने के लिए 21–01–2021 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन उस पर अभी तक उत्तरदाताओं द्वारा विचार नहीं किया गया है।

3. इसलिए वर्तमान रिट याचिकायें याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गयी हैं, जिसमें उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं के विनियमितीकरण के दावे पर विचार करने का आदेश देने के लिए एक परमादेश रिट के माध्यम से निर्देश/आदेश की मॉग की गई है।

4. यह एक स्थापित कानून है कि जहां तक अनुकम्पा नियुक्ति के कानून का सवाल है, जो उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में मरने वाले सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती का सम्बन्ध है, यह एक कल्याणकारी कानून है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत परिवार के एकमात्र कमाने वाले की दुखद मृत्यु के कारण किसी आकस्मिक आकस्मिकता से निपटने के प्रयोजनों के लिए कानून बनाया गया था, नियुक्ति का अनुदान कुछ पूर्व शर्तो की संतुष्टि पर आधारित है। इसलिए नियमों में परिवार, जो एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के कारण अचानक संकट में आ गया है, के भरण–पोषण के लिए तत्काल लाभ प्रदान करने पर विचार किया गया। हालांकि कल्याणकारी कानून के प्रभाव से संबंधित ये पहलू, इन रिट याचिकाओं में विचार के लिए एक प्रश्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्वीकृत रूप से याचिकाकर्ताओं को

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की संबंधित तिथि के विपरीत पहले ही नियुक्ति दी जा चुकी है, लेकिन दैनिक मजदूरी पर, जिस पर वे निर्विवाद रूप से वर्तमान में काम कर रहे हैं।

5. रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के तहत मरने वाले सरकारी कर्मचारी के आश्रित की भर्ती नियमित आधार पर अनिवार्य रूप से की जानी थी और दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था और यह एक अनुपात है जिसे **''अजय कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवम् अन्य, 2000(1) यू. पी.एल.बी.ई.सी0, 719** में प्रतिवाद किया गया है, सुसंगत पैराग्राफ जहां इस सिद्धान्त को शासित किया गया है, निम्न प्रकार है –

''5. यह उल्लेख करने की आवश्यकयता नहीं है कि डाइंग इन हार्नेस नियमों में नियुक्ति अस्थायी या तदर्थ नहीं हो सकती है और न ही होनी चाहिए क्योंकि यह नियमों के मूल उद्देश्य, अर्थात परिवार को संकट से बचाने को विफल कर देगी।''

6. एक समान मुद्दा इस उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष विचार के लिए आया जैसा कि **भगुली देवी बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य, 2005 (1) यू0डी0, पेज 379** में बताया गया है और समन्वय पीठ ने निहितार्थ पर विचार करते हुये डाइंग इन हार्नेस रूल्स के तहत अनुकम्पा नियुक्ति देने के मामले में, पैराग्राफ संख्या 2, 10 और 11 में अपना निष्कर्ष दिया है जो निम्न प्रकार है –

''2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने का अनुरोध किया है जिसमें उत्तरदाताओं को डाइंग इन हार्नेस नियमों के तहत वन विभाग में उनकी नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता, जो मृतक की विधवा है, ने तर्क दिया कि उसका पति 1984 से दैनिक मजदूरी के आधार पर वन विभाग में काम कर रहा था और उसने लगभग 16 वर्षो तक विभाग के साथ काम किया है। याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु 29–11–2000 को हो गई और वे अपने पीछे याचिकाकर्ता और छः नाबालिग बच्चों को छोड़ गए। वह पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखती है और उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है। याचिकाकर्ता ने उपयोग में मृत्यु नियमों के तहत वन विभाग में अपनी नियुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदाताओं को कई

अभ्यावेदन दिये। पहला अभ्यावेदन 25–07–2002 को किया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता परिवार में छः नाबालिग बच्चों की देखभाल करने के लिए केवल वयस्क सदस्य है और उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, उत्तरदाता अधिकारियों ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की है।

10. प्रथमतः जवाबी हलफनामे में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि याचिकाकर्ता के पति को मूल रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त नहीं किया गया था। दूसरे, याचिकाकर्ता के पति ने लगभग 16 वर्षो की अवधि तक पद के एक विशेष कर्तव्य पर दैनिक वेतन के आधार पर काम किया है और वह काम बारहमासी प्रकृति का है। धारणा यह होगी कि ऐसा कर्मचारी नियमित रिक्ति पर बने रहने का हकदार होगा।

11. ऊपर उल्लिखित कारणों से, चूँकि याचिकाकर्ता का पति 16 साल से अधिक समय से रोजगार में था, याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियम 1974, जिसे उत्तरांचल राज्य द्वारा अपनाया गया है, का लाभ पाने का हकदार है।

7. उपरोक्त निर्णय इस आशय का है कि जो नियुक्तियॉ अनुकम्पा के आधार पर की जाती हैं, वह एक मौलिक नियुक्ति है और उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियम 1974 के नियमों के तहत दी गई ऐसी नियुक्त को नियमित रिक्ति के विरूद्ध माना जाएगा।

8. एक बार फिर इस मुद्दे को इस न्यायालय की एक अन्य समन्वय पीठ ने 21–12–2005 को एक रिट याचिका **बालम सिंह बनाम मुख्य अभियन्ता, कुमाऊँ प्रभाग व अन्य डब्ल्यू.पी.एस.एस. नं0 1620/2005** में दिये गये फैसले में अवधारित किया गया जिसमें समन्वय पीठ ने भगुली देवी बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य (सुप्रा) के एक फैसले का जिक्र करते हुये जैसा कि 2005 (1) यू0डी0, 379 में रिपोर्ट किया गया था, साथ ही 1999 (3) में रिपोर्ट किए गए फैसले पर भी विचार किया गया। यू.पी.एल.बी.ई.सी., पृष्ठ 2263 रवि करण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिये गये फैसले पर विचार करते हुये कहा गया कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां नियमित आधार पर होती हैं और प्रासंगिक निष्कर्ष यहां दिया गया है –

''यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता के पिता अपनी नियुक्ति की तारीख से लेकर अपनी मृत्यु तक यानि 25–06–2001 तक प्रतिवादियों के साथ

मासिक वेतन के आधार पर काम कर रहे थे। यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को डाइंग इन हार्नेस के तहत मेट के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्ति दी गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि चूँकि याचिकाकर्ता को डाइंग इन हार्नेस नियमों के तहत नियुक्ति प्रदान की गई थी इसलिए उसकी नियुक्ति को दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त लोगों के समान नही माना जा सकता। याचिकाकर्ता ने 2005(1) उत्तरांचल निर्णय पृष्ठ 379 भगली देवी बनाम उत्तरांचल राज्य व अन्य में रिपोर्ट की गई रिट याचिका संख्या 91(एस/एस) 2003 में इस इस न्यायालय के फेसले पर भरोसा जताया है। रिट याचिका संख्या 39127/1994 रवि करन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य की रिपोर्ट 1999(3) यू.पी.एल.बी.ई.सी. पृष्ठ 2263 में दी गयी है जिसमें डिवीजन बेंच ने माना है कि डाइंग–इन–हार्नेस नियमों के तहत प्रदान की गई नियुक्ति को स्थाई नियुक्ति माना जाएगा, न कि अस्थाई नियुक्ति।''

9. यहां तक कि मुझे 2020 की **डब्ल्यू.पी.एस.एस. संख्या 675/2020 चन्द्र भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य** की रिट याचिका में एक समान मुद्दे के निपटारे का अवसर मिला जिसमें मैंने भी उस पूर्वसर्ग को स्वीकार कर लिया है जो बालम सिंह के साथ–साथ भगुली देवी के मामले में निर्धारित किया गया था और उपरोक्त रिट याचिका पर 13–07–2020 को फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्तियों को हमेशा नियमित नियुक्ति माना जाएगा। चूँकि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रकृति के सम्बन्ध में न्यायालयों की लगातार मिसालें रही हैं, जो नियमित प्रकृति की होती हैं इसलिए उपर दिए गए निर्णयों से उपरोक्त उल्लिखित सिद्धान्तों को लिया जाएगा और याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करते समय उत्तरदाताओं द्वारा विचार किया जाएगा।

10. उपरोक्त सिद्धान्त के आधार पर, चूँकि याचिकाकर्ताओं की प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से ही नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर नियमित आधार पर की जानी चाहिए थी न कि दैनिक आधार पर, इसलिए इस स्तर पर न्यायालय का मानना है कि चूँकि याचिकाकर्ताओं ने एक परमादेश रिट की मॉग की थी, जिसके लिए वे पहले ही प्रतिवादियों के समक्ष क्रमशः एक अभ्यावेदन दायर करके अपने संबंधित दावों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इसलिए प्रतिवादी संख्या 5 को याचिकाकर्ताओं के

उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए और इसके परिणामस्वरूप नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी को स्वीकार्य सेवा लाभ देने के लिए अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन अधिमानतः इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर।

11. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर निर्णय लेते समय, प्रतिवादी संख्या 5, उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित अनुपात के सिद्धान्तों को भी ध्यान में रखेगा।

12. उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन, रिट याचिका का तद्नुसार निपटारा किया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति)
11.06.2021